न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

अनवान -

1. हरमीतसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति रायसिख निवासी 48 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान

-प्रार्थी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

-अप्रार्थी-

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम सिंह सैनी व बक्शीश सिंह थिन्द वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 80/2022 **निर्णय दिनांक - 29/02/2024**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि चक 6 एस.टी.बी.(बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 18 प.न. 212/370 का कि.न. 1 ता 13 का कुल 3.2890 है. भूमि खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 6 एस.टी.बी. (बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु. न. 18 प.न. 212/370 का कि.न. 25 ता 21 में रास्ता आम स्वीकृत शुदा एंव मौका पर चालू है। चक 6 एस.टी.बी. बी. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 18 प.न. 212/370 का कि.न. 25 ता 21 में रास्ता आम स्वीकृतशुदा एंव मौका पर चालू है जो कि उक्त रास्ता आम के उत्तर दिशा में कि.न. 16 ता 25 का रकबा, रकबा-राज है एंव अप्रार्थी के रकबा के उत्तर में प्रार्थी का खातेदारी रकबा कि.न. 1 ता 13 स्थित है जिस कारण से प्रार्थी कि.न. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 21 मे चल रहे रास्ता आम से उत्तर दिशा की ओर कि. न. 21, 20 में दो बीघा लम्बाई में करीब 8 फुट चौडी जगह पत्थरलाईन के साथ साथ का उपयोग कर अपने रकबा कि.न. 11 में प्रवेश करता है एंव उक्त जगह का ही पिछले काफी अर्सा से रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग अप्रार्थी की सहमति से करता आ रहा है। प्रार्थी के रकबा में आने जाने व कृषि उपकरणो को लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता आम नहीं होने के कारण से भूमि काश्त करने, फसल को मण्डी तक ले जाने व कृषि औजारो को लाने ले जाने व आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पडता है प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए उक्त रास्ता के

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है प्रार्थी उक्त रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाना चाहता है चूँकि उक्त भूमि वर्तमान में रकबा राज दर्ज है उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटित होने पर व उक्त भूमि को काश्त किया जाने पर प्रार्थी के लिए अपने रकबा में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जावेगा जिससे प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पडेगा। उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत व दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार श्रीविजयनगर से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा प्रारम्भतः आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु दो रोज पूर्व इस बाबत माननीय न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहते हुए उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में दर्ज करने से इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। चूँकि प्रार्थी के रकबा में आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिए एक मात्र सुगम रास्ता उपरोक्त वर्णित कि.न. 21 के स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 21, 20 में से कि.न. 11 में प्रवेश करने का ही है इसके अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी चक 6 एस.टी.बी.(बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 18 प.न. 212/370 का किन. 21, 20 में से कि.न. 11 की हद तक पत्थरलाईन के साथ साथ 8 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाना चाहता है रास्ता में आयी भूमि के बदले प्रार्थी निर्धारित दर से राशि खजाना सरकार में जमा करवाने के लिए भी तैयार, तत्पर व इच्छूक है यदि उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपने रकबा में आने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी की भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी व प्रार्थी अपने उत्पादन को मण्डी तक ले जाने व कृषि औजारो को भूमि तक ले जाने में असमर्थ हो जावेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव काश्त में भारी असुविधा होगी। आदि-आदि का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए चक 6 एस.टी.बी. (बी) तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 18 पू.न. 212/370 का किन. 21, 20 में से कि.न.11 की हद तक पत्थरलाईन के साथ साथ 8 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करने की कपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को रास्ते की परम आवश्यकता है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से अब तक किसी निश्चित रास्ते का उपयोग प्रार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा है। रास्ते की परम आवश्यकता है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जोत तक पहुंचने हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता का नजरी नक्शा सलंग्न है। न्यूनतम एवम् लघुतम मार्ग अव्यवहारिक प्रतीत होता है क्योंकि मौके पर किला न. 20 में ट्यूबवेल हैं। अतः उक्त रास्ता चक 6 एस.टी.बी. (बी) के मुरब्बा न. 212/370(18) के किला न. 15 16, 25 में से होता हुआ दिया जाना उचित है। न्यून्तम मार्ग स्वीकृत

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

करने पर खाला पेड़ नहीं आता है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 6 एस.टी.बी.(बी) वर्तमान में रकबा खाली है। जमाबंदी सलगन है। जोत तक पहुंचने का सम्पूर्ण रास्ता सरकारी भूमि में से होकर जाता है। उक्त रकबा धारा 6(ए) से प्रभावित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 6 एस.टी.बी. (बी) के मुरब्बा नं. 212/370(18) के किला न. 21, 20 में किला नं. 11 की हद तक पत्थर लाईन के साथ साथ पश्चिम दिशा में 8 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अप्रार्थी को देगा। उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे यदि मौका पर रास्ते की भूमि पर फसल बिजान है तो प्रार्थी से फसल का उचित मुआवजा भी अप्रार्थी को दिलवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

(श्रीमति [illegible] शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner